न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस

अपील सख्या 104/2013

महेन्द्र जाखड पुत्र श्री मेहरचन्द जाखड माता स्व0 श्रीमति हरप्यारी जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ ——अपीलांट

बनाम

1. बलवन्तसिंह गोदारा पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
2. रामप्रताप गोदारा पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(नाम कलमजन)
3. साहबरामराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
4. कमलादेवी पुत्री रामप्रताप पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
6. प्रबन्धक, भारतीय कृषि विकास शाखा, हनुमानगढ जं0 ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ दिनांक 3.05.2013 प्रकरण संख्या 11/2009

उपस्थितिः—

श्री ज्ञानप्रकाश कडवासरा, अभिभाषक अपीलांट

श्री रामानन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

श्री राजेशकुमार छिम्पां, अभिभाषक रेस्पोडैन्ट सं0 3

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक :— 15.02.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 2 से 6 के विरूद्व पेश कर कथन किया कि नन्दराम पुत्र श्री चुन्नीराम के 3 पुत्र सोहन लाल, रामप्रताप व हजारी राम है, जिनको नन्दराम की विरास्तन सम्पति बराबर बराबर हक में मिली हुई है। प्रतिवादी नं0 1 को अपने पिता से विरास्तन भूमि मिली हुई है। प्रतिवादी नं0 1 के 3 जायज व कानूनी वारिस बलवनसिंह गोदारा, साहबराम व कमलादेवी है। रामप्रताप के विरास्तन भूमि चक 5 के के डब्लयु खाता संख्या 38/38 मे 3.023 है0, चक 10 एल एल डब्लयु के खाता संख्या 76/64 में 1.391 है0 भूमि है, उपरोक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 का हक व हिस्सा है। वादी प्रतिवादीगण से अलग रहता है, वादी का 1/4 हिस्सा का हक बनता है। वादी अपने 1/4 हिस्सा भूमि पर काश्त करता आ रहा है, प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते है वादी उक्त भूमि को बैचने, रहन रखने व अन्य अधिकार के लिए आमादा है। अतः वाद–पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे व वादी के 1/4 भाग आराजी का अच्छी मंदी व न्याउ में से रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता अलग–अलग कायम किया जावे। अपीलांट को उक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद पक्षकार मुकदमा बनाया गया प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर कथन किये कि प्रतिवादी सं0 1 को कुल भूमि में से 15 बीघा भूमि ही विरास्तन मिली थी जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा का हक बनात है व इसी 1/4 हिस्सा भूमि की घोषणा व अच्छी मंदी से खाता अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने काउन्टर कलैम स्वीकार करने की इस्तदुआ की। वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व काउन्टर का प्रत्युउतर प्रस्तुत करते हुए जवाबदेही के कथनों से इन्कार किया व काउंटर कलैम खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादी संख्या 6/ अपीलांट नं उपस्थित होकर कथन किये कि प्रतिवादी नन्दराम की पुत्री हरप्यारी का एकमात्र कानूनी व जायज वारिस है व नन्दराम की भूमि में उसका 4 बीघा 7½ विस्वा भूमि का हकदार है, जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रतिवादी व अन्य ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली। हरप्यारी के हक व हिस्सा की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 6 हकदार खातेदार है घोषित फरमाया जावे व उसके हक व हिस्सा की भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से विभाजन किया जावे।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के पश्चात निम्न तनकीयात विरचित की:–

(1) आया वादी वादग्रस्त आराजी चक 5 के के डब्लयु व 10 के के डब्लयु में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स 3 कुल आराजी में बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(2) आया घोषणानुसार वादी खाता विभाजन करवाने को अधिकारी है।

(3) आया काउन्टर कलैम मद संख्या 16 व 17 में दर्जानुसार प्रतिवादी नं0 1 को . 632 हैक्टयर अलग पृथक कर शेष भूमि में बहिस्सा बराबर के हकदार है।

(4) आया काउन्टर कलैम मद 16 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 6 की माता हरप्यारी है0 भूमि की हकदार थी व उक्त भूमि की घोषणा प्रतिवादी पाने का अधिकारी है।

(5) अनुतोष

1. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेखबद्व करवाने के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा की हद तक स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री गया तथा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 6 व रेस्पोन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर कलैम खारिज किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 6 ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि स्वीकारोक्त रूप से नन्दराम की भूमि है व अपीलांट नन्दराम की पुत्री हरप्यारी का एकमात्र कानूनी व जायज वारिस है इसलिए नन्द की भूमि मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट की माता हरप्यारी सहदायिकी थी व है चूंकि हरप्यारी का निधन हो चुका है व उसकी मृत्यु के बाद अपीलांट उसके हक हिस्सा की भूमि का हकदार है। हरप्यारी ने अपने हक हिस्सा की का हरप्यारी ने किसी भी भाई के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक त्याग नही किया और ना ही हक त्याग का कोई दस्तावेज पत्रावली पर है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त फरमाई जावे व काउन्टर कलैम अपीलांट डिक्री फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किये कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रामपताप ने रामप्रताप को विरास्तन प्राप्त भूमि पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। हरप्यारी की मृत्यु नन्दराम के जीवन काल में ही हो गई थी व नन्दराम की मृत्यु होने के बाद नन्द राम के नाम दर्ज भूमि का इन्तकाल सन् 1975 उसके तीनो पुत्रों के नाम दर्ज हुआ तथा उसकी समय ही नन्दराम के तीनो पुत्रों ने उक्त भूमि का विभाजन कर लिया जो पूर्णतयः सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील में भाई की सम्पति में बहिन के पुत्र द्वारा हिस्सा चाहा गया है जबकि नन्दराम की मृत्यु के बाद प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 के अनुसार उक्त भूमि नन्दराम के तीनो पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तत्पश्चात सन् 1975 नन्दराम के तीनो पुत्रों कमशः सोहन लाल, रामप्रताप व हजारी राम के मध्य उक्त भूमि का विभाजन होकर उक्त भूमि तीनों के नाम राजस्व अभिलेख में अलग–अलग दर्ज हुई चूंकि विभाजन सन् 2004 से पूर्व का व 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुए विभाजन में पुत्री का हक नही था इसलिए उक्त नियम इस प्रकरण में लागू नही होते हैं तथा अपीलांट ने उक्त अपील में हरप्यारी के अन्य वारिसान को पक्षकार नही बनाया है व अपील नॉन ज्वाईंडर ऑफ नसैसरी पार्टीज से प्रभावित है। विद्वाव अभिभाषय रेस्पोडैन्ट संख्या 3 ने अपने बहस के कथनों के समर्थन में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 की प्रति प्रस्तुत की तथा 2012 डी एन जे पेज 89 पर निष्पादित न्यायिक दृष्टांत की प्रति प्रस्तुत करते हुए अपील निरस्त फरमाई जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यनन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि नन्दराम की भूमि होना व नन्दराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके तीनो पुत्रों सोहनलाल, रामप्रताप व हजारी राम के नाम दर्ज होना भी स्वीकृत तथ्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी भूमि पैतृक सम्पति होना स्पष्ट है तथा न ही पक्षकारान के मध्य भूमि पैतृक होने बाबत कोई विवाद नही है। मौजूदा प्रकरण में विवाद केवल मात्र यह है कि भूमि पैतृक सम्पति है व पैतृक सम्पति होने से नन्दराम की भूमि में अपीलांट की माता हरप्यारी का नन्दराम के अन्य वारिसान के साथ बहिस्सा बराबर का हक था व है व हरप्यारी की मृत्यु के बाद उसके एकमात्र कानूनी व जायज वारिस अपीलांट का हक है जिससे रेस्पोडैन्ट इन्कार करते है व कथन किये है कि नन्दराम की मृत्यु से पूर्व ही हरप्यारी फौत हो गई थी व सन् 1975 में ही उक्त भूमि का विभाजन हो चुका है। वादी / रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श–6 जमाबंदी सवत् 2010–13 में विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल 165 बीघा 5 बिस्वा भूमि सोहनलाल, रामप्रताप व हजारीराम पिसरान नन्दराम के नाम बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा उक्त भूमि का विभाजन होकर सोहन लाल, रामप्रताप व हजारी राम के नाम से अलग–अलग दर्ज हो चुकी है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड मृत्यु प्रमाण–पत्र हरप्यारी पत्नि मेहरचन्द का निधन दिनांक 25.10.1973 को ही हो चुका है। हरप्यारी द्वारा अपने जीवन काल में नन्दराम की उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई कलैम करना नही पाया जाता व सोहनलाल आदि के मध्य विभाजन के पश्चात भी काउन्टर कलैम प्रस्तुत होने तक अपीलांट द्वारा नन्दराम की भूमि में अपना हिस्सा होने का कोई कलैम प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलांट ने यह भी कही अंकित नही किया है तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि क्या अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप की भूमि के अलावा सोहनलाल व

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हजारी राम की भूमि में भी क्लैम किया है। जहां तक अपीलांट की माता हरप्यारी का नन्दराम की भूमि में सहदायिक होने के प्रश्न है, दिनांक 20.12.2004 के संशोधन के बाद पिता पुत्र के मध्य विभाजन में पुत्री अपने हकों की मांग कर सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने बाबत वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें हरप्यारी अथवा हरप्यारी के वारिस द्वारा अपने हकों की घोषणा की मांग किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपील में ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नही आया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व प्राथमिक डिक्री में कोई त्रुटि हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य पाई जाती है।

8. अतः यह अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.05.2013 यथावत् रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/2/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास मूलचन्द आर0ए0एस0

अपील सख्या 104/2013

महेन्द्र जाखड पुत्र श्री मेहरचन्द जाखड माता स्व0 श्रीमति हरप्यारी जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ ——**अपीलांट**

बनाम

1. बलवन्तसिंह गोदारा पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
2. रामप्रताप गोदारा पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ(नाम कलमजन)
3. साहबरामराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
4. कमलादेवी पुत्री रामप्रताप पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (राजस्व) हनुमानगढ
6. प्रबन्धक, भारतीय कृषि विकास बैंक, हनुमानगढ जं0 ——**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
दिनांक 3.05.2013 प्रकरण संख्या 11/2009

आज यह अपील तबरू हाजिर श्री ज्ञानप्रकाश कडवासरा, अभिभाषक अपीलांट, श्री रामानन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1, श्री राजेशकुमार छिम्पां, अभिभाषक रेस्पोडैन्ट सं0 3, श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.05.2013 यथावत् रखे जाते हैं

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15.02.2019 को जारी की गई।

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official